[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3024

06 [illegible], 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ट्र[illegible]

3024. श्र[illegible] ([illegible]):

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार को भोजन म ट्रांसफैट का विनियमन करने को कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार को उक्त योजना को किस प्रकार से कायान्वित करने को योजना है?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री [illegible])

(क) से (ख): खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियामवली, 2011 के मौजूदा प्रावधानों के अंतगत, वनस्पति, बेकरी शोर्टनिंग्स, बेकरी और औद्योगिक माजरीन तथा इंटरेस्टरिफाइड वेजिटेबल वसा/ तेल को निर्धारित सीमा 5 प्रतिशत से अधिक नहों है।

चूंकि खाद्य सुरक्षा और प्रवतन अधिनियम, 2006 का कायान्वयन और प्रवतन करना मुख्य रूप से राज्य/ संघ राज्य सरकारों का काय है, इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य उत्पादों को नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग, परीक्षण और रडम सैम्पलिंग को जा रही है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतगत कारवाई शुरू को जाती है।

*****